

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

लॉक डाउन और नियमों का पालन करे

नगर निगम का अब ना चलेगा बहाना-मास्क है लगाना अ भयान जारी रतलाम 17 अप्रैल । कलेक्टर और निगम प्रशासक गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में कोरोना बचाव का अ भयान निरन्तर जारी है। सफाई मत्र समूह की टीम नगर के व भन्न क्षेत्रों में रांगोली के माध्यम से नागरिकों को निरन्तर कोरोना से बचाओं का संदेश देने के साथ ही आमजन को मास्क का निःशुल्क वतरण कर उन्हे सही ढंग से मास्क पहनने का तरीका भी समझा रही है।

इस मौके पर आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है क सभी लॉक डाउन का शत प्रतिशत पालन करे। को वड-19 की चेन तोडने का ये सीधा तरीका है। लॉक डाउन के दौरान बहुत ज्यादा जरुरी होने पर ही घरों से निकले क्यू क आपकी जरा सी चूक आपके और आपके परिवार को संकट में डाल सकती है। नगर निगम के माध्यम से जगह-जगह सैनेटाईजेशन भी निरन्तर कराया जा रहा है।

उन्होने कहां क नगर निगम अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना अ भयान के माध्यम से नागरिकों को को वड गाईड लाईन का पालन करने की समझाईश दे रहा है। ऐसे में आमजन भी मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों की धुलाई से जुडे उपायों को अपनाए और अपना जीवन सुर क्षत रखे।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सैनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 17 अप्रैल। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सैनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सैनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टेक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों व लयों व भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डियम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटाईज कया जा रहा है। 17 अप्रैल शनिवार को फायर लॉरी से घांस बाजार व कलाईगर रोड व डाट की पुल व पीएण्डटी कालोनी व सैलाना यार्ड व टीआईटी रोड व जवाहर नगर सी कालोनी व जवाहर नगर बीमा अस्पताल क्षेत्र व इन्द्रा नगर व मोती नगर व भगतपुरी व त्रिपो लया गेट व गांधी नगर व तै लयो की सड़क सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेज व माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र व कलेक्टोरेट व ई-दक्ष कार्यालय व नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटाईजेशन का कार्य कया गया। नगर के सेनेटाईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम 17 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार को वड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत को वड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधसूचित कया गया है। उक्त बीमारी संक्रमत वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमत व्यक्ति के छींकने व खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य कया गया है। नागरिकों से अपील है क वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1
नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डों में घर-घर से कया जा रहा है कचरा
एकत्रीकरण

रतलाम 17 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री
गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार
रतलाम नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है
जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही
रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी कया जा रहा है
इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके हैं नागरिकों
के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के सभी 49 वार्डों
को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डों की सड़कों ग लयों एवं नालयों
में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरों दुकानों से
निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सूखे कचरे पृथक्कीकरण कर
कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स
महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण
वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स
महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग
मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा
जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह
रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए
इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला
एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के
पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान
पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित
कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरों एवं दुकानों
से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में

एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे^३ चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक ए रबर ए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रिन ए ग्लबस ए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक ए दरोगा ए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

निगम अ धकारी एवं कर्मचारी कोरोना का

दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 17 अप्रैल। नगर निगम के अ धकांश अ धकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लया है कन्तु कुछ अ धकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचत है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षत रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अ धकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अ धकारी एवं कर्मचारी जो क टीकाकरण में रूच नहीं

दिखा रहे हैं उनके वरुद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

779 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 17 अप्रैल । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 17 अप्रैल तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 779 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 17 अप्रैल को सैलाना रोड से 1 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे

कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह ए झोन प्रभारी श्री करण चौहान ए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 17 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में ए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय ए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहरा ए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456 ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812 ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393 ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110 ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में ए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय ए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकों ए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 17 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 17 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 17 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने

गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/17ण04ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.